

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 108(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित पदाधिकारियों के सरकारी वाहनों के आगे नीली बत्ती (फ्लैशर सहित) के प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट करते हैं:-

1	सभी प्रधान सचिव,
2	पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक,
3	सरकार के सचिव,
4	महानिबंधक/निबंधक उच्च न्यायालय,
5	प्रमंडलीय आयुक्त,
6	पुलिस महानिरीक्षक,
7	क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक,
8	राज्य परिवहन आयुक्त,
9	क्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,
10	जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश/समकक्ष,
11	जिला पदाधिकारी,
12	पुलिस अधीक्षक,
13	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
14	उप विकास आयुक्त,
15	अपर जिला दण्डाधिकारी,
16	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
17	अनुमंडल दण्डाधिकारी,
18	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ।

(2) सभी सरकारी वाहनों पर विभाग का नाम एवं बिहार सरकार का मोनोग्राम रहेगा ।

(3) यदि कोई सरकारी वाहन जिसके शीर्ष अग्र भाग पर नीली बत्ती लगी हुई हो, संबंधित अधिकारी को लेकर नहीं जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में नीली बत्ती का उपयोग नहीं होगा एवं नीली बत्ती को काले आवरण से ढँक दिया जाएगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

G. M. S.
18.6.14

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।

ज्ञापांक:- 06/सी0एम0टी0- 24/2012 3450 पटना, दिनांक:- 18/06/2014

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की पाँच सौ अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग के प्रयोगनार्थ उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

Gm¹⁴
18.6.14

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।

ज्ञापांक:- 06/सी0एम0टी0- 24/2012 3450 पटना, दिनांक:- 18/06/2014

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधान परिषद एवं विधान सभा सचिवालय/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, लोकायुक्त बिहार/महाधिवक्ता, बिहार/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, राज्य योजना परिषद/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार एवं मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं सभी शाखाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Gm¹⁴
18.6.14

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।

ज्ञापांक:- 06/सी0एम0टी0- 24/2012 3450 पटना, दिनांक:- 18/06/2014

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

Gm¹⁴
18.6.14

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।

ज्ञापांक:- 06/सी0एम0टी0- 24/2012 3450 पटना, दिनांक:- 18/06/2014

प्रतिलिपि:- श्री गोपाल सिंह, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, 303, बिहार भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110021 को सूचनार्थ प्रेषित ।

Gm¹⁴
18.6.14

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।

ज्ञापांक:- 06/सी0एम0टी0- 24/2012 3450 पटना, दिनांक:- 18/06/2014

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

Gm¹⁴
18.6.14

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।